

राआबैंक(नदी)/डीआरएस/नीति सं.44/2011-12

19 अक्टूबर, 2011

सभी पंजीकृत आवास वित्त कंपनियों को

प्रिय महोदय,

### पुराने और नए ग्राहकों से ब्याज प्रभारण में एकरूपता

यह पाया गया है कि कुछ आवास वित्त कंपनियां अपने पुराने और नए ग्राहकों को भिन्न-भिन्न फ्लोटिंग दरें प्रस्तावित कर रही हैं। राष्ट्रीय आवास बैंक को इस संबंध में अनेक प्रतिवेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं। हमने इस विषय से संबंधित पक्षों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया है। तदनुसार यह सूचित किया जाता है कि आवास वित्त कंपनियों को अपने समान जोखिम पृष्ठभूमि वाले पुराने और नए ग्राहकों से फ्लोटिंग दर आधार पर प्रभारित दरों में, चाहे ऋणकर्ता ने बाजार में कभी भी प्रवेश किया हो, समानता सुनिश्चित करनी चाहिए। नए ग्राहकों की तुलना में पुराने ग्राहकों से उच्च ब्याज दर प्रभारित करने से न केवल पुराने ग्राहकों को नुकसान होता है वहीं यह प्रक्रिया पक्षपातपूर्ण भी है। इस प्रकार की प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता का भी अभाव होता है।

2. स्वस्थ और सुदृढ़ आवास वित्त प्रणाली की वृद्धि के लिये, यह आवश्यक समझा गया कि ऋणदाता संस्थानों द्वारा उत्पादों का मूल्यन पारदर्शी, भेदभाव रहित और उद्देश्यपरक हो।
3. उक्त परिप्रेक्ष्य में, आवास वित्त कंपनियों को पुराने और नए ऋणकर्ताओं से एक समान ब्याज दर प्रभारित करने के लिए सूचित किया जाता है जिनमें एकसमान जोखिम पृष्ठभूमि हो। इस अनुदेश को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाए।
4. कृपया पावती भेजें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

रिवा शर्मा

(आर.एस. गर्ग)

महाप्रबंधक

विनियमन एवं पर्यवेक्षण विभाग